



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218766
CG-DL-E-18032020-218766

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 999]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No. 999]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1106(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2045(अ) तारीख 21.06.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर -चांपा जिले में NH-200(नई NH-49) के कि.मी. 178.944 से कि.मी.240.000 चांपा तहसील जिला जांजगीर चांपा तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.07.2019" को "दैनिक भास्कर" और "मुलमंत्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर -चंपा जिले में NH200(नई NH-49) के कि.मी. 178.944 से कि.मी. 240.000 चांपा तहसील के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: जांजगीर -चंपा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चांपा				
	गांव का नाम: हथनेवरा				
1	829	निजी	कृषि	0.018	दामोदर पिता रामाधीन सा. दे. भू. स्वामी (८२९)
2	831	निजी	कृषि	0.018	गोरेलाल , गोपाल , संतोष पिता दामोदर सा. दे. भू. स्वामी (८३१)
3	832 / 2	निजी	कृषि	0.018	गोरेलाल पिता दामोदर सा . दे . भू . स्वामी (८३२ / २)
4	832 / 3	निजी	कृषि	0.018	दामोदर पिता रामाधीन सा. दे. भू. स्वामी (८३२ / ३)
	गांव का नाम: सारागांव				
5	977 / 2 (1042 / 2)	निजी	कृषि	0.02	रामलखन पिता हेतराम सा. दे. भू. स्वामी (९७७ / २ (१०४२/२))
6	990 / 1 (995 / 2)	निजी	कृषि	0.012	मधुशंकर, रविशंकर, उमाशंकर पिता गेंदराम, प्रेमबाई बे. गेंदराम सा. दे. भू.

					स्वामी (९९०/१ (९९५/२))
7	992 / 1	निजी	कृषि	0.113	मणिशंकर वैगरह सा. दे. भू. स्वामी (९९२/१)
			कुल	0.217	

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1106(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2045 (E) dated 21.06.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of National Highway No 200(NEW NH-49) on the stretch of land from Km 178.944 to Km 240.000 champa tehsil in the district of JANJGIR -CHAMPA in the state of CHHATTISGARH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Danik Bhaskar" dated the 12.07.2019 and "Mool Mantra" dated 11.07.2019, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure NH-200(NEW NH-49) in the stretch of Km.178.944 to Km. 240.000 Champa tehsil in the district of JANJGIR -CHAMPA in the state of CHHATTISGARH.

State: CHHATTISGARH			District: JANJGIR -CHAMPA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Champa				
	Village: Hathnewara				
1	829	Private	Agriculture	0.018	Damodar s/o Ramadhin sa. deh. bhu . Swami 829

2	831	Private	Agriculture	0.018	Gorelal , Gopal , Santosh s/o Damodar sa. deh. bhu. Swami 831
3	832 / 2	Private	Agriculture	0.018	Gorelal s/o Damodar sa. de . bhu. Swami 832/2
4	832 / 3	Private	Agriculture	0.018	Damodar s/o Ramadhin sa. deh. bhu. Swami 832/3
Village: saragaon					
5	977 / 2 (1042 / 2)	Private	Agriculture	0.02	Ramlakhan s/o Hetram sa. deh. bhu. Swami 977/2(1042/2)
6	990 / 1 (995 / 2)	Private	Agriculture	0.012	Madhisankar, Ravisankar, Umasankar s/o Gendram, Prembai w/o Gendram sa. deh. bhu. Swami 990/1 (995/2)
7	992 / 1	Private	Agriculture	0.113	Manisankar Wegrath sa. deh. bhu. Swami 992/1
			TOTAL	0.217	

[F. No. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.